

प्रेस नोट दिनांक 16.02.2021

इटावा पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में 04 वर्ष से वांछित एवं 15 हजार ₹0 के इनामी बाल अपचारी को किया गया गिरफ्तार।

जनपद में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री आकाश तोमर द्वारा चलाये जा रहे 72 घण्टे के विशेष अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा एवं क्षेत्राधिकारी भरथना के नेतृत्व में थाना बकेवर पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में 04 वर्ष से वांछित एवं 15 हजार ₹0 के इनामी बाल अपचारी को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण-

जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे 72 घण्टे के विशेष अभियान के अन्तर्गत दिनांक 15/16.02.2021 को थाना बकेवर पुलिस द्वारा क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग की जा रही थी तभी मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि मु0अ0सं015/17 धारा147, 148, 149, 302, 120बी भादवि व 3(2)(5)एससी/एसटी एक्ट से संबधित वांछित एवं इनामी अभियुक्त भरथना बकेवर फ्लाई ओवर एनएच 02 के नीचे कहीं जाने की फिराक में खड़ा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंची तो वहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दिया जो पुलिस टीम को देखकर भागने का प्रयास करने लगा। संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करते हुए उक्त अभियुक्त को घेर कर पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से पुलिस टीम द्वार पूछताछ करने पर उसने अपना नाम पता बताते हुए बताया कि वह थाना बकेवर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 15/17 धारा147, 148, 149, 302, 120बी भादवि व 3(2)(5)एससी/एसटी एक्ट में वांछित अभियुक्त है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. दीपेंद्र उर्फ कल्लू पुत्र राम सिंह राठौर निवासी ग्राम वेरी खेड़ा थाना बकेवर इटावा।

पुलिस टीम-

श्री जितेन्द्र प्रताप सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना बकेवर, उ0नि0 चिन्तन कौशिक, हे0का0 नावेन्द्र सिंह, का0 ललित कुमार, का0 रमन सिंह।

सोशल मीडिया सेल
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
इटावा।